न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 526/2015
दायर दिनांक :– 01/02/2022
निर्णय दिनांक :– 10/01/2023

उनवान

1. श्री माधू पिता खेमाजी तेली निवासी भूपालसागर

वादी

बनाम

1. श्री शंकर पिता खेमाजी तेली निवासी भूपालसागर
2. श्रीमती मंजूदेवी पत्नी राजकुमार वसीटा निवासी भूपालसागर
3. तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :– 1. ललित झंवर

–: निर्णय :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :–

यह है कि मौजा भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 495 में दर्ज आ.न. 1581 रकबा 0.01 है., आ.सं. 1582 मी. रकबा 0.02 है. आ.सं. 1583 मी. रकबा 0.41 है. कुल किता 3 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2017 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वादी की एक पक्षिये बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2023.01.10 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	श्री माधू पुत्र खेमा तेली 39/80, शंकर पुत्र खेमा तेली 41/80 सा. देह खातेदार	1583	0.04 है.
2	श्री माधू पुत्र खेमा तेली सा. देह खातेदार	1583 में से पूर्वी दिशा	0.1950 है.
3	श्री शंकर पुत्र खेमा तेली सा. देह खातेदार	1583 में से पश्चिम दिशा 1583 में से उत्तरी पूर्वी कोने पर	0.18 है. 0.0250 है.
	आ.सं. 1581 रकबा 0.01 है. आ.चा. सामलाती रहेगा		

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2023.01.10 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested